दिनांक 22 दिसंबर, 2020 नए सार्स कोव-2 (सार्स कोव-दो स्ट्रेन) वैरिएंट के लिए निगरानी और प्रतिक्रिया को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया

दिनांक 22 दिसंबर, 2020

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

यूनाइटेड किंगडम में सार्स-कोव-2 (सार्स कोव-दो स्ट्रेन) वायरस के नए संस्करण के संदर्भ में महामारी विज्ञान निगरानी और प्रतिक्रिया को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया

परिचय

यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने सार्स-कोव-2 (सार्स कोव-दो स्ट्रेन) वायरस का एक नए वैरिएंट [वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन (वीयूआई) -20212/01] की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गयी है। यूरोपीय रोग नियंत्रण केंद्र (यूरोपीय सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल/ईसीडीसी) द्वारा इस वैरिएंट के संदर्भ में अनुमान है कि यह अधिक संक्रामक और वयस्क आबादी को प्रभावित करेगा। यूके वैरिएंट B.1.1.7 के शुरुआती जीनोमिक लक्षणों के मुताबिक इसमें असमान्य तौर पर कई बड़े जेनेटिक बदलाव देखे गये है। वायरस की नई किस्म में कम से कम 17 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव स्पाइक प्रोटीन में आया है। एन 501 वाई नामक म्यूटेशन स्पाइक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को बदल देता है, जो वायरस मानव एसीई-2 रिसेप्टर (मानव प्रोटीन जिसके साथ वायरस स्पाइक को बांधता है) को बांधने के लिए उपयोग करता है। स्पाइक प्रोटीन के इस भाग में परिवर्तन से वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है और लोगों के बीच अधिक आसानी से फैल सकता है।

विस्तार (कार्यक्षेत्र)

यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पिछले चार सप्ताहों के दौरान (दिनांक 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2020 तक) ब्रिटेन (यूके) से भारत आने और जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी करती है। ब्रिटेन से भारत जाने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर परीक्षण करवाया जाएगा और संक्रमित पाए जाने पर उन्हें संस्थानिक पृथक-वास केंद्र में भेजना जाएगा इसके साथ ही यदि किसी भी यात्री का कोरोना परीक्षण पॉजिटिव आता है तो उसका स्पाइक जीन-आधारित आरटी-पीसीआर परीक्षण भी किया जाएगा।

भाग क

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को ऊपर वर्णित की गई गतिविधियों का पालन करना होगा। उन्हें मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अपने यात्रा इतिहास (पिछले चौदह दिनों का) के बारे में जानकारी देनी होगी तथा कोविड-19 की जांच के लिए स्व घोषणा पत्र भरना होगा।

यूनाइटेड किंगडम से आने और जाने वाली सभी सभी उड़ानें दिनांक 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक स्थगित रहेंगी। दिनांक 21 से 23 दिसंबर 2020 के बीच की अवधि के दौरान ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए भारत पहुंचने पर निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:

1. 'राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि ब्रिटेन से भारत आने या जाने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। यदि किसी भी यात्री का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका स्पाइक जीन-आधारित आरटी-पीसीआर परीक्षण भी किया जाएगा।
2. सकारात्मक परीक्षण वाले यात्रियों को संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा समन्वित अलगाव/आइसोलेशन इकाई के तहत संस्थानिक पृथकवास सुविधा केंद्र में अलग रखा जाएगा। वे अलगाव और उपचार के लिए विशिष्ट सुविधाएं निर्धारित करेंगे। नमूनों को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी/एनआईवी), पुणे या जीनोम अनुक्रमण के लिए किसी अन्य उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजा जायेगा।
   - . यदि जीनोम सिक्वेंसिंग/जीनोम अनुक्रमण की रिपोर्ट देश में मौजूदा सार्स-कोव-2 वायरस जीनोम के अनुरूप है; तो मामले की गंभीरता के अनुसार भारतीय उपचार प्रोटोकॉल के तहत उपचार होगा, गंभीर न होने पर होम आइसोलेशन या फैसिलिटी लेवल पर उपचार होगा।
   - . यदि जीनोमिक अनुक्रमण सार्स-कोव-2 (सार्स कोव-दो स्ट्रेन) के नए संस्करण की उपस्थिति को इंगित करता है, तो रोगी एक अलग अलगाव/पृथकवास इकाई में रखा जाएगा। जबकि उसे मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक उपचार दिया जाएगा। पॉजिटिव होने के चौदह दिनों बाद दोबारा आरटी पीसीआर टेस्ट होगा। यदि सैंपल चौदवें दिन पॉजिटिव पाया जाता है, तो आगे का नमूना तब तक लिया जा सकता है, जब तक कि उसके दो लगातार चौबीस घंटे अलग किए गए नमूनों का टेस्ट नेगेटिव न हो जाए।
3. जिन लोगों की हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें एयरपोर्ट पर उन्हें सलाह दी जाएगी कि वे होम क्वारंटाइन में रहेगें और भाग ग के दिशानिर्देश का पालन करेगें।

4. संबंधित एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि चेक-इन से पहले, यात्री को इस एसओपी के बारे में समझाया जाए। इन-फ्लाइट घोषणाओं द्वारा भी प्रासंगिक जानकारी को साझा किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी आगमन क्षेत्र में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारियों द्वारा हवाई अड्डे पर प्रभावी अलगाव के बाद विधिवत आरटी-पीसीआर परीक्षण परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है।

भाग ख

आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

1. पिछले चार सप्ताह (दिनांक 25 नवंबर से 23 दिसंबर, 2020) में, बीओआई संबंधित राज्य सरकार या एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईएसएसपी) को देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर यूके की उड़ानों से आने वाले यात्रियों के बारे में सूचित करेगा, ताकि इस डेटा को निगरानी टीम को पारित किया जा सकें।

2. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन idsp-npo@nic.in पर जानकारी साझा करेगा। संबंधित राज्य सरकार इस बारे में ई-मेल से सूचित करेगी।

3. इमिग्रेशन ब्यूरो डेटा भी उपलब्ध कराएगा और इसके आधार पर एक स्व-घोषणा पत्र एयर सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

भाग ग

राज्य सरकारों/एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) द्वारा निगरानी करने के लिए एसओपी

1. दिनांक 21 से 23 दिसंबर, 2020 तक देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर उतरने वाले समस्त संपर्कों (अपवाद रहित) और सकारात्मक आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटियन सेंटर्स में रहना होगा। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार उनका परीक्षण किया जाएगा या यदि इससे पहले से ही यात्री भाग क में खंड 1 के अनुसार कोविड-19 के किसी भी लक्षण को विकसित करता है, तो उसका कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा। सकारात्मक परीक्षण के संपर्क भाग क के खंड 2 में उल्लिखित गतिविधियों के अधीन होंगे। (सकारात्मक

यात्रियों की लाइन में बैठने वालों के अलावा, आगे और पीछे के तीन-सीटर यात्रियों का भी परीक्षण किया जाएगा। केबिन क्रू का भी परीक्षण किया जाएगा)।

2. दिनांक 21 से 23 दिसंबर, 2020 के बीच यात्रा करने वाले यात्री, जिनकी एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक है, उन यात्रियों की सूची आईडीएसपी की केंद्रीय इकाई (एपीएचओ/बीओआई द्वारा सुविधा केंद्रों) द्वारा संबंधित राज्य के साथ जानकारी साझा की जाएगी। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे होम आइसोलेशन में रहेगें और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार उनका परीक्षण किया जाएगा (या यदि पहले से ही यात्री भाग क के खंड 1 के अनुसार कोविड-19 के विचारोत्तेजक कोई लक्षण विकसित करता है, तो उसका परीक्षण किया जाएगा)। उनकी निगरानी संबंधित राज्य सरकारों/आईडीएसपी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सकारात्मक पाए गए लोगों को भाग 'क' के खंड '2' में उल्लिखित गतिविधियों के अधीन किया जाएगा।
3. दिनांक 25 नवंबर से 8 दिसंबर, 2020 (25 नवंबर से पहले और दूसरे सप्ताह) के बीच भारत आने वाले यात्रियों को जिले के निगरानी अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करने की सलाह दी जानी चाहिए। यदि उनमें कोई लक्षण हैं, तो उनक आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाना चाहिए।

- यदि परीक्षण सकारात्मक है, तो आनुवांशिक अनुक्रमण किया जाएगा। यदि परिणाम वर्तमान परिसंचारी सार्स-कोव2 के अनुरूप हैं, तो भाग क के खंड 2 (क) में निहित कार्रवाई का पालन किया जाएगा।
- यदि जीनोम अनुक्रमण के परिणाम नए स्ट्रेण (नए वायरस) के अनुरूप हैं, तो भाग क के खंड 2 (ख) में निहित कार्रवाई का पालन किया जाएगा।

4. भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची, जैसा कि ऊपर दिए गए दायरे में वर्णित है, दिनांक 9 दिसंबर से 23 दिसंबर (तीसरे और चौथे सप्ताह) के बीच भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची को संबंधित राज्य या जिला निगरानी अधिकारी के साथ साझा करने की आवश्यकता है, ताकि भारत आने के 14 दिनों के बाद उनके स्वास्थ्य पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकें।

5. स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा पहली यात्रा (किसी भी परिवहन के माध्यम से)/कोविड-19 से संपर्क के समय यात्री को निम्नलिखित का पालन करने की सलाह दी जाएगी:

क. आपकी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से नियमित कॉल/यात्रा/भ्रमण किया जाएगा। कृपया उनके साथ सहयोग करें।

ख. यात्रियों को कोरोना के लक्षणों की निगरानी करना आवश्यक है। भारत में आने के अठाईस दिनों तक बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों की निगरानी की जानी चाहिए।

ग. यदि आप लक्षण (बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई) विकसित करते हैं, तो तुरंत मास्क पहनें, घर पर स्वयं को अलग रखें तथा जिला निगरानी अधिकारी को सूचित करें या राष्ट्रीय (1075) या राज्य हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

6. जिला निगरानी अधिकारी को अगले अठाईस दिनों के लिए यूके से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दैनिक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

7. उपरोक्त पैरा चार में सूचीबद्ध सभी यात्रियों के लिए, जिला निगरानी अधिकारी भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों (मूल स्थान या आगमन वाले हवाई अड्डे पर पिछले किए गए परीक्षण के बावजूद) को आरटी-पीसीआर परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। यदि यात्री भारत आने के बाद किसी अन्य शहर में जा रहे हैं, तो संबंधित जिला या राज्य को सूचित किया जाना चाहिए।

□. जिनका परीक्षण सकारात्मक हैं, उन्हें संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा एक अलग संस्थागत अलगाव सुविधा में अलग-थलग किया जाएगा और खंड 2 (क) भाग क में आवश्यक कार्रवाई का पालन किया जाएगा।

□. यदि जीनोमिक अनुक्रमण सार्स-कोव-2 (कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन) के नए संस्करण को दर्शाता है तो खंड 2 (ख) भाग क के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

8. समस्त सामुदायिक संपर्कों (किसी भी अपवाद के बिना) से पीड़ित यात्री, जिनका परीक्षण सकारात्मक है, उन्हें पृथक क्वारंटाइन केंद्र के तहत संस्थानिक क्वारंटाइन में रखा जाएगा और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर दिशा-निर्देशों के अनुसार भाग 'क' के खंड '1' में आरटी-पीसीआर का उपयोग करके पांच से दसवें दिन के बीच उनका परीक्षण किया जाएगा (या यदि पहले से ही यात्री कोविड-19 के किसी भी लक्षण को विकसित करता है, तो 'आईसीएमआर' दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षण किया जाएगा)।

9. इस एसओपी के दायरे में आने वाले किसी भी यात्री के बारे में जानकारी, जो कि किसी दूसरे राज्य की यात्रा करता है, इसकी सूचना संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को दी जाएगी। यदि कोई यात्री प्रारंभ में या किसी भी अवधि के दौरान पता लगाने योग्य नहीं है, तो उसके बारे में जिला निगरानी अधिकारी द्वारा आईडीएसपी की केंद्रीय निगरानी इकाई को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।